प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-18/1035/84-डे0ई0-15-नि0-64/2008

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

विषय:-प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के लिए आपूर्ति किये जाने वाले गेहूँ/चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1424/22-4-15-48(37)/2000, दिनांक 16 नवम्बर, 2015(छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा आपूर्ति किये जा रहे गेहूँ एवं चावल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तथा समय पर खाद्यान्नों की आपूर्ति भी नहीं की जा रही है। इस प्रकार समय से गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सामग्री न होने से जहाँ एक ओर बंदियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है वहीं दूसरी ओर शासन की छवि भी धूमिल होती है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के शासनादेश संख्या-2403/22-4-08-48(37)/2000, दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 एवं तदनुक्रम में उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई के शासनादेश संख्या-1395/84-डे0ई0-08-नि0-64/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के लिए गेहूँ/चावल की आपूर्ति किये जाने का दायित्व सौंपा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कारागारों में गेहूँ/चावल की आपूर्ति हेतु मे0 मंगलम फूड्स प्रा0लि0, श्यामगंज, बरेली, का चयन किया गया है। शासन के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 एवं दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में यह व्यवस्था दी गयी है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी जिसमें संबंधित कारागार अधीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग का जिला

--------2/-

http://shasanadesh.up.nic.in/go/

स्तरीय अधिकारी (जिलापूर्ति अधिकारी) और स्वास्थ्य विभाग का (खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण हेतु विशेषज्ञ) जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होगें। यह समिति खाद्यान्न का परीक्षण कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करायेगी व एतदर्थ प्रमाण पत्र भी देगी। अतएव प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु उच्च कोटि(अच्छी गुणवत्ता) के गेहूँ/चावल की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-1035(1)/84-डे0ई0-15तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- मे0 मंगलम फूड्स प्रा0लि0, बाबा गौरी शंकर मन्दिर के पास, श्यामगंज, बरेली, उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/